निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 43/2022
दायरा दिनांकः–30.05.2022
निर्णय दिनांकः– 30.5.25

उनवान

1. महेन्द्र आयु 39 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति नाई निवासी खोपर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नि प्रेमचन्द जाति जाटव निवासी सालपुरा रोड छबडा
2. कल्पना पत्नि हरीश जाति जाटव निवासी सालपुरा रोड छबडा
3. हरीश यादव आयु 45 वर्ष पुत्र हंसराज जाति जाटव निवासी छबडा
4. बाबूलाल आयु 63 वर्ष पुत्र मंगला जाति माली निवासी खोपर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव– प्रार्थी
2. भगवान कृष्ण बलरिया – अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त में भूमि खाता संख्या 174/146 की भूमि खसरा नंबर 353 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नंबर 365/9 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 395 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा में स्थित है। जिसकी वादी काश्त करता व लगान जमा कराता आ रहा है। वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूगि पर आने जाने का कदीमी रास्ता बना हुआ है। जिसमें वादी स्वयं आता जाता है और ट्रेक्टर व कृषि यंत्र लाता ले जाता है। जिसमें जाने का एकमात्र रास्ता है। जो नक्शे में ए से बी मार्क से दर्शाया गया है। नक्शा वाद पत्र का एक अंग है। वादी अपने गांव से चलकर ए स्थान से खसरा नंबर 396 व खसरा नंबर 393 की मेड़ पर होकर के 395 में स्वयं के खाते की जमीन पर आता है. जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता कदीमी है। एकमात्र रास्ता खसरा नंर 395 में आने का यही है। इस रास्ते कको प्रतिवादी कम 1,2,3 बंद कर रास्ते वाली जगह को खुद के खाते की जमीन में मिलाकर रास्ता बंद करना चाहता है। वादी अपने गांव से चलकर ए स्थान से खसरा नंबर 396 व खसरा नंबर 393 की मेड़ पर होकर के 395 में स्वयं के खाते की जमीन पर आता है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता कदीमी है, एकमात्र रास्ता खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

395 में आने का यही है, इस रास्ते को प्रतिवादी कम 1 बंद कर रास्ते वाली जगह को खुद के खाते की जमीन में मिलाकर रास्ता बंद करना चाहता है। जिसका कानूनी रूप से प्रतिवादी क्रम 1,को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी क्रम 4 प्रोफार्मा डिफेन्डेन्ट बनाया गया है. जो कभी भी ना तो निकलने से रोकता है और ना ही रास्ता अवरुद्ध करता है। यह कि कल जब वादी खेत पर ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तो प्रतिवादी कम 1 आड़े फिर गया और कदीमी रास्ते में से ट्रेक्टर निकालने से मना किया और ट्रेक्टर निकालने पर लड़ाई–झगड़े पर आमादा होकर झूठे मुकदमे में फंसाने की घोंस दी। रास्ता वादी का कदीमी है, जिस पर से निकलने का वादी को सुखाधिकार प्राप्त है। इस रास्ते को बंद कर दिया तो वादी की भूमि पड़त रह जाएगी और कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं रहेगा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 171 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम खोपर सम्वत् 2078 नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 50 नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 133 पेश की गई। अप्रार्थीगण की ओर से नकल नक्शा ट्रेस नकल आर्डर शीट मय प्रार्थना पत्र धारा 251 आर0टी0एक्ट पेश किया गया।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 395 रकबा 4.16 बीघा पर जाने का कदीमी रास्ता बना हुआ है जिसमें प्रार्थी आता जाता है तथा कृषि यन्त्र लाता ले जाता है प्रार्थी खसरा नम्बर 396 व 393 की मेड पर होकर खसरा नम्बर 395 की भूमि में आता है यह रास्ता कदीमी है खसरा नम्बर 395 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता है इस रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा बन्द कर खुद के खाते की भूमि में मिला लिया है प्रतिवादी के रास्ता बन्द करने का कानूनी रूप से कोई अधिकारी नही है रास्ता प्रार्थी का कदीमी है जिस पर से निकलने का प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है अप्रार्थी द्वारा यह रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थी की भूमि पडत रह जायेगी ग्राम पंचायत व तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी को इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है अप्रार्थीगण प्रार्थी के कदीमी रास्ते को बन्द नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को कदीमी रास्ता एवं उस पर प्रार्थी का सुखाधिकार होना वाद पत्र में अंकित किया है उक्त विवादित रास्त कदीमी होने से धारा 251 आर0टी0एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है वादी/प्रार्थी द्वारा कोई वाद कारण व दिनांक अंकित नही की गई है प्रार्थी खसरा नम्बर 395 का एक मात्र खातेदार नही है प्रार्थी के साथ केलाश बाई भी सह खातेदार है जिसे इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 393 व 396 की मेड पर होकर कदीमी रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बताया है खसरा नम्बर 396 के खातेदरान को प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाया है अप्रार्थी की भूमि से रास्ता लेने हेतु एक अन्य वाद बाबूलाल बनाम चन्द्रकला विचाराधीन है दोनो प्रार्थीगण महेन्द्र व बाबूलाल अप्रार्थी की भूमि से अलग–अलग रास्ता लेकर प्राथीगण की भूमि को नष्ट करने व अतिक्रमण करने की नियत से अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है एक ही भूमि से दो रास्ते लेने बाबत् प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे। प्रार्थी द्वारा कदीमी रास्ता से जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने का अनुतोष मांगा है प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग नही करी है रास्ता कितना चौडा चाहिये उसके बदले में जमीन देना है या पैसा यह कही अंकित नही किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 171 के अनुसार प्रार्थी महेन्द्र कुमार पुत्र कैलाश बाई पत्नी स्व0 मांगीलाल के शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खोपर के अनुसार खसरा नम्बर 393 व 396 की मेड पर होकर प्रार्थी द्वारा कदीमी बताया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा द्वारा रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी महेन्द्र द्वारा ग्राम खोपर की आराजी खसरा नम्बर 395 रकबा 4.16 बीघा भूमि में कृषि कार्य सम्पादित करने हेतु अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 393 व 396 से रास्ता चहा गया है। मौके का निरीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि वादी का रास्ते से सम्बन्धित प्रमुख वाद खसरा नम्बर 393 के खातेदारान से है। वर्तमान में वादी खसरा नम्बर 393 व 395 से होकर ही कृषि कार्य सम्पादित करता है। तहसीलदार छबडा द्वारा प्रस्तावति रास्ते से एक अन्य वाद बाबूलाल बनाम चन्द्रकला वगै0 का निस्तारण भी एक साथ होना बताया है प्रार्थी द्वारा रास्ता लेने से सम्बन्धित कोई अनुतोष नही चाहा है प्रार्थी कदीमी रास्ते से आने जाने में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादी को पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है इस प्रकार के मामले के सम्बन्ध में आर0टी0एक्ट की धारा 251 के तहत स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस धारा के तहत समरी तारीके से रास्ते खुलवाने की कार्यवाही तहसीलदार से करवाई जा सकती है। अर्थात् प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर रिलीफ प्राप्त कर सकता है धारा 251क प्रावधान नवीन रास्ते के सम्बन्ध में है प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में खसरा नम्बर 396 में खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है तथा केवल चालु रास्ते का खुलासा कराने का अनुतोष चाहा गया है। उपरोक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अनुज्ञेय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251A RTA चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा